12 NOON

Statement by Minister correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 16th November, 1977 to Unstarred Question 128 regarding the National Capital region plan.

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): मान्यवर, मेरे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लान के बारे में दिनांक 16 नवम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के संदर्भ मे मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि उसमें तत्थ्यपरक गलती हो गई थी ।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित उपनगरों में भूमि के विकास तथा वाणिज्यिक स्थान के निर्माण के लिये अपेक्षित निधियों का एक अंश देती है । जांच करने पर मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित उपनगरों में भूमि के अर्जन तथा रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोगों के विकास आदि के लिये निधियों का एक अंश देती है

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report (1975-76) and Accounts of the Bihar State Forest Development Corporation Limited, Datna and Related paper.

II. The Betwa River Board Rules 1977.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:

I A copy (in English and Hindi) of the First Annual Report and Accounts of the Bihar State Forest Development Corporation Limited, Patna for for the period 10th February, 1975 to 31st March, 1976, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT—1604/78].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Irrigition (Department of Irrigation) Notification G.S. R. No. 22, dated the 7th January, 1978, publishing the Betwa River Board Rules, 1977, under section 24 of the Betwa River Board Act, 1976.

[Placed in Library *See* No. LT—1699/78].

Certified Account (1974-75) of the Visvabharati University Santiniketan and Related Papers

THE MNISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English ind Hindi) of the certified Annual Accounts of the Visvabharati University, Santiniketan, for the year 1974-75, and the Audit Report thereon, together with a statement giving reasons for the delay in liying the document. [Placed in Library. *See* No. LT-1606/78].

I. Report (1976-77 and Account of the Hindustan Housing factory limited New Delhi and Related papers.

II. The Urban Land Ceiling and Regulation) Eight Amendment Rules 1977 and related paper. ..

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(I) 1976–77 के वर्ष के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों की एक प्रति (हिन्दी में), लेखों पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन

तथा उस परभारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

†Placed in Library *See* No. LT—1703/78].

(II) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) आठवां संशोधन नियम 1977 को प्रकाशित करने वाली निर्माण तथा आवास मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 765 (ई), दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में), उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित,

[Placed in Library. *See* No. LT—1704/78].

I. Report (1976-77) Accounts of the Modern Bakeries (India) Limited New Delhi and related papers.

II. Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Notifications.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Twelfth Annual Report and Accounts of the Modern Bakeries (India) Limited, New Delhi; for the year 1976-77, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company.

[Placed in Library. *See* No. LT—1705/78 for (i) and (ii)].

II. A copy each (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Notifications G.S.R. Nos. 768(E) to 770(E), dated the 22nd December, 1977, publishing the Corrigenda to Government Notification G.S.R. Nos. 1528, dated the 16th October, 1965, 1415, dated the 14th September, 1967 and 1597, dated the 29th August, 1968, respectively, under sub-section (3) of section 44 of the Food Corporations Act, 1964.

[Placed in Library. *See* No. LT—1609/78].

1. The Drugs and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 1977.

II. The Prevention of Food Adulteration (First Amendment) Rules, 1978.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

I. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अधीन, औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 1977 को प्रकाशित करने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि०सं० 19, दिनांक 7 जनवरी 1978 की एक-एक प्रति (अंग्रेजीतथा हिन्दी में) ।

[Placed in Library. *See* No. LT—1556/78].

II. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम, 1978 को प्रकाशित करने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 36 (ई), दिनांक 21 जनवरी 1978 की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. *See* No. LT—1652/78].